



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 2017/पौष 29, 1938

No. 172]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2017/PAUSA 29, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2017

का.आ. 185(अ).—भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2541(अ), तारीख 2 सितम्बर, 2015, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, केन्द्रीय सरकार उक्त प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर द्वारा सम्यक रूप विचार किया गया;

और, चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा दो अन्य राज्यों अर्थात् पंजाब और हरियाणा के साथ मिली हुई है और सुखना वन्यजीव अभयारण्य शिवालिक पहाड़ियों के अंतर्गत आती है जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और भू-वैज्ञानिक रूप से अस्थायी है और इसलिए वर्षा के दौरान मिट्टी के कटाव के लिए उच्च रूप से प्रवण है। सुखना वन्यजीव अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 25.9849 वर्ग किलोमीटर (6420.99 एकड़) है ;

और, इसके पारिस्थितिक, प्राणिजातीय, वनस्पतीय, आकृतिविज्ञानी, प्राकृतिक और भू-वैज्ञानिक महत्व के कारण इस क्षेत्र को चण्डीगढ़ प्रशासन अधिसूचना सं. 694-एचआईआई(4)-98/4519 तारीख 6 मार्च, 1998 द्वारा वन्यजीव और इसके पर्यावरण के संरक्षण, प्रजनन और विकास के प्रयोजन के लिए वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था।

और, भारत के वन्यजीव संस्थान के निर्देशन में, वन्यजीव अभयारण्य जनगणना, 2010 के दौरान, अनुसूची I और II की दो प्रजाति और अनुसूची III की तीन प्रजाति और अनुसूची IV की बहुत सी प्रजाति को सुखना वन्यजीव अभयारण्य में रिपोर्ट किया गया था। उनमें प्रमुख प्रजातियाँ जो कि सुखना वन्यजीव अभयारण्य में उपस्थित हैं- तेंदुआ (*पेन्थेरा स्पा*), सांभर (*रूस स्पा*), भारतीय साल (*मानिस स्पा*), गोल्डन सियार (*कैनीस स्पा*), ग्रे लंगूर (*सेमनोपिथेकस स्पा*), जंगली सूअर (*सूस स्पा*), लाल जंगली मूर्गी (*गैलस स्पा*), भारतीय मोर (*पावो स्पा*), चीतल (*एक्सिस स्पा*), गोल्डन ओरीवली (*ओरिओल्स स्पा*), कोबरा

(ओफियोफागुस स्पा), रसैल वाइपर (दबोइया स्पा), भारतीय अजगर (पाइथन स्पा), इत्यादि तथा इनके अतिरिक्त विविध प्रकार की तितिलियाँ (70 से अधिक प्रजाति) और अन्य कीड़े भी बहुलता में पाये जाते हैं ;

और, सुखना वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चण्डीगढ़, संघ राज्यक्षेत्र में 1050 हेक्टेयर सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 2.0 किलोमीटर से 2.75 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को सुखना वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.**—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 2.0 किलोमीटर से 2.75 किलोमीटर के क्षेत्र तक विस्तारित है; संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ प्रशासन ने पारिस्थितिक संवेदी जोन को दो जोनों में विभाजित किया है अर्थात् जोन-I और जोन-II और सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से जोन- I का विस्तार 0.5 किलोमीटर तक है और संतुलन क्षेत्र जोन-II में रखा जाएगा और यह वन्यजीव निवास स्थान के संरक्षण के लिए जोन-I में सख्त मानदंडों के उद्देश्य से किया गया है; पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र 1050.0 हेक्टेयर (चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के भाग पर) है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र, इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन और सुखना वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक की सीमा का विवरण **उपाबंध II** और **उपाबंध IIक** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के निर्देशांक इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।

(5) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले तीन ग्राम, अर्थात् खुदा, अलीशेर, किशनगढ़ और कायम्बवाला हैं।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.**—(1) चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से, एक आंचलिक महायोजना तैयार करेगा।

(2) आंचलिक महायोजना संघ राज्यक्षेत्र की सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और संघ राज्यक्षेत्र की विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित सभी संबद्ध संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) नगर विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिका ;

- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;
- (viii) चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति ;
- (ix) सिंचाई; और
- (x) लोक निर्माण विभाग।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिक अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हों ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास के पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.— संघ राज्यक्षेत्र की सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए हैं पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, पैरा 5 के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 21, 23, 29 और 34 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

- (ii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग;
- (iii) वर्षा जल संचयन; और
- (iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण शिल्पी भी हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई जाने वाली कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल-स्रोत.**— आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट ऐसे विकास क्रियाकलापों को जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हों, प्रतिषिद्ध करने के लिए मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन.**—(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, संघ राज्यक्षेत्र, चण्डीगढ़ सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा राजस्व और वन विभाग, संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत.**—(पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और अहातों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**—(चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसरण में पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**—(पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.**—(पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण सामान्य मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**—(ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.**—पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि.343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन.**—परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोविंदरामन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के कठोर अनुसरण का प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मिलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	भू-जल संचयन सहित वाणिज्यिक जल स्रोत ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में भू-जल सहित प्राकृतिक जल स्रोतों के वाणिज्यिक उपयोग को प्रतिषिद्ध किया जाएगा । जल के संदूषण या प्रदूषण के निवारण के लिए सभी कार्यवाहियां की जाएंगी ।

(8)	प्रमुख थर्मल और हाइड्रो विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार बना रहेगा : परंतु यह और कि विद्यमान आरा मिलों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनकी पर्यवसान अवधि पर नहीं किया जाएगा।
(10)	कॉर्पोरेट फार्मों और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। हालांकि, स्थानीय किसानों के द्वारा एक छोटे पैमाने पर पहल की अनुमति दी है।
विनियमित क्रियाकलाप		
(11)	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परन्तु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरूप होगा। वाणिज्यिक पारिस्थितिक पर्यटन के साथ "वन्यजीव निवास में गैर वानिकी क्रियाकलापों के लिए दिशा-निर्देशों" के अनुसार जारी एफ. सं. 610/2011 वन्यजीव दिनांक 15-03.2011 द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय (वन्यजीव प्रभाग), नई दिल्ली और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशों (यदि लागू हो) के साथ विनियमित किया जाएगा।
(12)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक जो भी निकट हो, से 0.5 किलोमीटर (जोन-1) के भीतर किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुज्ञात होंगे। (क) सभी प्रकार के नए भवनों और घरों का संनिर्माण जोन-1 में 0.5 किलोमीटर की दूरी पर प्रतिषिद्ध होगा; सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0.5 किलोमीटर से 1.25 किलोमीटर तक, कम घनत्व के संनिर्माण (भूखंड के आधे से कम भाग को आच्छादित किया जायेगा) और कम ऊँचाई वाले भवन (15 फीट ऊँचाई तक) अनुज्ञात करेंगे यदि क्षेत्र के भूमि उपयोग योजना के अधीन अनुज्ञेय है; क्षेत्र के किसी भी संनिर्माण विकास विनियमन के लिए लागू करना होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रबंधन योजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा; परंतु 1.25 किलोमीटर से परे संघ राज्य शासित प्रदेश प्रशासन चंडीगढ़ प्रशासन भवन के उपनियम और वास्तुविद नियंत्रण/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के जोनिंग के विनियमन के अनुसार नए भवनों और विद्यमान घरों के संनिर्माण विनियमित करेगा। पारिस्थितिक संवेदी जोन के जोन-1 में तहखानों के संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे, तथापि, जोन-1 में भवन के पुनर्निर्माण/मरम्मत उपयुक्त के अधीन रहते हुए, अनुज्ञात होगा जैसे कम घनत्व के संनिर्माण (भूखंड के आधे से कम भाग को आच्छादित किया जायेगा) और कम ऊँचाई वाले भवन (15 फीट ऊँचाई तक) होंगे।

		(ख) लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से, प्रदूषण न कारित करने वाले लघु उद्योग से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ग) इसके अतिरिक्त, आंचलिक महायोजना के अनुसार संनिर्माण और नागरिक सुविधाओं की वृद्धि विनियमित होगी।
(13)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	संघ राज्य क्षेत्र के चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा विनियमित किया जाएगा; भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना।
(14)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
(15)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में विद्यमान सड़को, नई सड़कों का संनिर्माण और विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना या मरम्मत करना विनियमित होगा तथा न्यूनतम समाधान के साथ किया जाएगा।
(16)	उच्च टेंशन पारेषण लाइनों का परिनिर्माण।	यथा लागू विनियमित के अनुसार होंगे; भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
(17)	विदेशी प्रजातियों को लाना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र में विदेशी प्रजातियों की शुरूआत विनियमित किया जाएगा।
(18)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	होटल और लॉज के परिसर की बाड़ लगाने के पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र में विनियमित किया जाएगा।
(19)	वायु (जिसके अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण भी है) और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(20)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(21)	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर, जैसे तंबू, लकड़ी के घर आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(22)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	उपचारित बहिर्वाह के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
(23)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
(24)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ाना और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मुख्य वन्यजीव वार्डन की पूर्व अनुमति के साथ)।
(25)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

(26)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) के अधीन विनियमित होंगे।
(27)	पारिस्थितिक-पर्यटन क्रिया-कलाप।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
संवर्धित क्रियाकलाप		
(28)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
(29)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(30)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
(31)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(32)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(33)	वानस्पतिक बाड़।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
(34)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(35)	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(36)	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(37)	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (i) मुख्य वन संरक्षक/सह मुख्य वन्यजीव वार्डन, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र की सरकार-अध्यक्ष;
- (ii) मुख्य वास्तुकार, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र-सदस्य ;
- (iii) मुख्य इंजीनियर, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र-सदस्य ;
- (iv) मुख्य इंजीनियर, नगर निगम, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र-सदस्य;
- (v) निदेशक, ग्रामीण विकास और पंचायत, संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़-सदस्य ;
- (vi) सदस्य-सचिव, चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति-सदस्य ;
- (vii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों से चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि-सदस्य
- (viii) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा- सदस्य ;

(ix) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य —सदस्य;

(x) उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र—सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश निबंधन

(1) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य जीव वर्डन उपाबंध IV में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(9) इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।


(10) इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, होंगे।

[फा. सं. 25/9/2015-ईएसजेड/आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

सुखना वन्यजीव अभयारण्य, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध II

सुखना वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

बिन्दु क से ख	सुखना वन्यजीव अभयारण्य के सीमा के उत्तर की ओर खुदा आलिशेर गांव से पीईसी की ओर उत्तर मार्ग तक साथ में संघ राज्य क्षेत्र तक जाती है।
बिन्दु ख से ग	पीईसी उत्तर मार्ग के साथ होते हुए किशनगढ़ गांव की पक्की सड़क तक जाती है।
बिन्दु ग से घ	किशनगढ़ गांव होते हुए किशनगढ़ की पक्की सड़क तक जाती है-आई टी पार्क के गोल चक्कर तक पहुँचती है।
बिन्दु घ से ङ	किशनगढ़ से- आई टी पार्क के गोल चक्कर से होते हुए संघ राज्य क्षेत्र की सीमा के साथ डी टी माल रोड तक पहुँचती है।

बिन्दु ड से च	संघ राज्य क्षेत्र की सीमा के साथ में नियामक अंत हो जाता है।
बिन्दु च से छ	संघ राज्य क्षेत्र की सीमा का नियामक अंत जहाँ होता है वही पास में संगम स्थल है।
बिन्दु छ से ज	संघ राज्य सीमा के संगम स्थल बिन्दु के पास ही महादेवपुर गांव है।
बिन्दु ज से झ	महादेव गांव में संघ राज्य क्षेत्र की सीमा के पास कंसा देवी मंदिर के निकट सुखना वन्यजीव अभयारण्य है।
बिन्दु झ से ञ	कंसा देवी मंदिर के पास झील आरक्षित वन की ओर कंबाला रोड पर संघ राज्य क्षेत्र की सीमा है।
बिन्दु ञ से ट	कंबाला रोड पर आरक्षित वन का संघ राज्य क्षेत्र की ओर गांव कंसाल के संघ राज्य क्षेत्र की सीमा है।
बिन्दु ट से ठ	संघ राज्य सीमा के साथ गांव कंसाल से सुखना वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सीमा की ओर गांव खुदाआलिशेर तक जाती है।
बिन्दु ठ से क	संघ राज्य सीमा के साथ गांव कंसाल से सुखना वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सीमा की ओर गांव खुदाआलिशेर तक जाती है।

उपाबंध IIक**सुखना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के जी.पी.एस निर्देशांक**

क्र.सं	जी.पी.एस निर्देशांक	क्र.सं	जी.पी.एस निर्देशांक
1.	उ 30° 45'16.1" पू.76° 50'15.7"	9.	उ 30° 48'12.5" पू.76° 50'31.0"
2.	उ 30° 45'50.3" पू.76° 49'36.6"	10.	उ 30° 48'11.9" पू.76° 51'11.6"
3.	उ 30° 46'00.6" पू.76° 49'25.3"	11.	उ 30° 48'33.1" पू.76° 52'10.9"
4.	उ 30° 46'06.5" पू.76° 49'10.2"	12.	उ 30° 48'19.8" पू.76° 51'59.3"
5.	उ 30° 46'29.0" पू.76° 48'48.6"	13.	उ 30° 47'29.8" पू.76° 51'04.6"
6.	उ 30° 46'50.4" पू.76° 49'16.5"	14.	उ 30° 47'12.3" पू.76° 51'23.9"
7.	उ 30° 47'5.17" पू.76° 49'38.35"	15.	उ 30° 47'56.8" पू.76° 51'93.3"
8.	उ 30° 47'54.4" पू.76° 50'09.4"	16.	उ 30° 47'70.5" पू.76° 52'41.3"

17.	उ 30° 46'58.9" पू.76° 52'09.7"	23.	उ 30° 45'1.6" पू.76° 52'33.3"
18.	उ 30° 46'20.4" पू.76° 51'45.2"	24.	उ 30° 44'31.8" पू.76° 51'11.4"
19.	उ 30° 46'30.3" पू.76° 52'23.6"	25.	उ 30° 45'00.5" पू.76° 50'45.4"
20.	उ 30° 46'17.8" पू.76° 52'43.5"	26.	उ 30° 44'59.8" पू.76° 50'35.5"
21.	उ 30° 45'42.6" पू.76° 52'36.1"	27.	उ 30° 45'09.1" पू.76° 50'33.9"
22.	उ 30° 45'01.2" पू.76° 52'31.2"		

उपाबंध-III

सुखना वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की बाह्य सीमा के महत्वपूर्ण बिंदु दर्शाने वाले निर्देशांक

बिन्दु	देशांतर	अक्षांश
ए	76° 48' 37.70" पू	30° 46' 45.07" उ
बी	76° 47' 28.57 " पू	30° 46' 01.22 " उ
सी	76° 49' 29.60 " पू	30° 44' 01.72 " उ
डी	76° 49' 48.85 " पू	30° 43' 51.68 " उ
ई	76° 50' 53.55 " पू	30° 43' 50.57 " उ
एफ	76° 49' 55.58 " पू	30° 44' 22.92 " उ
जी	76° 50' 13.19 " पू	30° 44' 57.21 " उ
एच	76° 50' 16.42 " पू	30° 45' 09.45 " उ
आई	76° 49' 37.84 " पू	30° 45' 48.31 " उ
जे	76° 48' 53.36 " पू	30° 45' 11.83 " उ
के	76° 48' 18.31 " पू	30° 45' 53.09 " उ
एल	76° 49' 01.59 " पू	30° 46' 13.83 " उ

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति-की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविधा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।

6. पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2017

S.O. 185(E).—whereas, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number f.S.O. 2541 (E), dated the 2nd September, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, objections and suggestions were received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

And whereas, the Sukhna Wildlife Sanctuary in the Union territory of Chandigarh shares the boundary with two other States viz Punjab and Haryana and Sukhna Wildlife Sanctuary falls in the Shivalik Hills which are ecologically sensitive and geologically unstable and thus are highly prone to soil erosion during rains and **the total area of Sukhna Wildlife Sanctuary is 25.9849 square kilometres (6420.99 acres).**

And whereas, due to its ecological, faunal, floral, geo-morphological, natural and geological significance for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment, this area was declared as Wildlife Sanctuary vide Chandigarh Administration notification No. 694-HII(4)-98/4519, dated the 6th March, 1998.

And whereas, as per Wildlife Census, carried out under the guidance of Wildlife Institute of India, during 2010, two species of Schedules I and II and three species of Schedule III and many species of Schedule IV of Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), were reported in Sukhna Wildlife Sanctuary; among prominent species present in the Sukhna Wildlife Sanctuary are-Leopard (*Panthera sp.*), Sambar (*Rusa sp.*), Indian Pangolin (*Manis sp.*), Golden Jackal (*Canis*), Grey Langur (*Semnopithecus sp.*), Wild Boar (*Sus sp.*), Red Jungle Fowl (*Gallus sp.*), Indian Peafowl (*Pavo sp.*), Chital (*Axis sp.*), Golden Oriole (*Oriolus sp.*), Cobra (*Ophiophagus sp.*), Russell's Viper (*Daboia sp.*), Indian Python (*Python sp.*), etc. apart from this a wide variety of butterflies (more than 70 species) and other insects are found in abundance.

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of the Sukhna Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of **1050 hectares, to an extent varying from 2.0 kilometres to 2.75 kilometres from the boundary of the Sukhna Wildlife Sanctuary** in the Union territory of Chandigarh on the side of Chandigarh as **the Sukhna Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone** (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.**— (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from 2.0 kilometres to 2.75 kilometres from the boundary of the Sukhna Wildlife Sanctuary in the Union territory of Chandigarh; the Union territory Administration of Chandigarh has divided the Eco-sensitive Zone in two zones i. e., Zone-I and Zone-II and The extent of Zone-I is upto 0.5 km of from the boundary of the Sukhna Wildlife Sanctuary and the balance area shall be in Zone-II and this has been done with the purpose of having stricter norms in Zone-I for protection of wildlife habitat; the area of Eco-sensitive Zone is 1050.0 hectares (on the side of Union territory of Chandigarh).
- (2) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes is appended as **Annexure I**.
- (3) The boundary description of the Eco-sensitive Zone and co-ordinates of Sukhna Wildlife Sanctuary are appended as-**Annexure II and Annexure IIA**.
- (4) The coordinates of Eco-sensitive Zone with its latitudes and longitudes is appended as **Annexure III**.
- (5) There are three villages falling within the Eco-sensitive Zone namely, Khuda Alisher, Kishangarh and Kaimbwala.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.— (1) The Union territory of Chandigarh shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

- (2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the Union territory Government.
- (3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the Union territory Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the Central and Union territory laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (4) The said Plan shall be prepared in consultation with all Union territory Government Departments, namely:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest;
 - (iii) Urban Development;
 - (iv) Tourism;
 - (v) Municipal;
 - (vi) Revenue;
 - (vii) Agriculture;
 - (viii) Chandigarh Pollution Control Committee;
 - (ix) Irrigation; and
 - (x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.
- (5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (6) The Zonal Master plan shall provide the details for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
- (8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.

3. Measures to be taken by Union territory Government.— The Union territory Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Landuse.**— Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the Union territory Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 21, 23, 29 and 34 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, for eco-friendly tourism activities;
- (ii) small scale industries not causing pollution;
- (iii) rainwater harvesting; and
- (iv) cottage industries including village artisans:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the Union territory Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the Union territory Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area etc. and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**— The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the Union territory Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**— (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall be part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Union territory Government of Chandigarh in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Union territory of Chandigarh.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely.—

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone and in accordance with the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within Eco-sensitive Zone;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.**— All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**— Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**— Chandigarh Pollution Control Committee shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986

(7) **Air pollution.**— Chandigarh Pollution Control Committee shall implement standards and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rule made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**— The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357(E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.**— The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343(E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the Union territory Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.— All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities:		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents. (b) The mining operations shall strictly be in accordance to the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T. N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per law.
5.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per law.
6.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per law.
7.	Commercial water resources including ground water harvesting.	Commercial use of natural water resources including ground water shall be prohibited in the Eco-sensitive Zone and all steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water.
8.	Establishment of new thermal and major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry.
10.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws, however, initiatives on a small-scale by the local farmers are permitted.
B. Regulated Activities:		

11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	<p>No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre. of the boundary of the protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:</p> <p>Provided that, beyond one kilometre or up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Eco-Tourism Master Plan.</p> <p>Commercial eco-tourism establishments shall be regulated strictly in accordance with the guidelines for taking non-forestry activities in Wild life habitats" issued vide F.No.610/2011 WL, dated 15-03.2011 by the Ministry of Environment and Forest (WL Division), New Delhi and National Tiger Conservation Authority Guidelines (if applicable).</p>
12.	Construction activities.	<p>No new commercial construction of any kind shall be permitted within 0.5 kilometre (Zone-I) from the boundary of protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3.</p> <p>(a) Construction of all types of new buildings and houses up to a distance of 0.5 km i.e. in the zone-I shall be prohibited; from 0.5 kilometre to 1.25 kilometre from the boundary of Sukhna Wildlife Sanctuary, construction of low density (ground coverage less than half of the plot size) and low rise building (height upto 15 feet) can be allowed if permissible under the prescribed land use plan of the area.; any construction will have to adhere to the Development Regulation applicable to the area and shall be regulated as per the Eco-sensitive Zone management plan; beyond 1.25 kilometre construction of new buildings and houses shall be regulated as per existing Chandigarh Administration Building Bylaws and Architectural Control/Zoning regulation of Union territory Administration. Construction of basement in Zone-I of Eco-sensitive Zone shall not be allowed, however, reconstruction/repair of building in Zone-I shall be allowed subject to the restriction as above i. e. construction of low density (ground coverage less than half of the plot size) and low rise building (height upto 15 feet).</p> <p>(b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per the applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(c) The further, construction and augmentation of civic amenities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
13.	Erection of electrical and telecommunication towers.	<p>Shall be regulated by Union territory of Chandigarh Administration; underground cabling shall be promoted.</p>
14.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees on the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the Union territory Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the Central or the Union territory laws and the rules made thereunder.</p>

15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Construction of new roads and widening or repair of existing roads in the Eco-sensitive Zone shall be regulated and done with minimal impacts.
16.	Erection of high tension transmission lines.	As per regulations, as applicable; underground cabling shall be promoted.
17.	Introduction of exotic species.	Introduction of exotic species shall be regulated in the Eco-sensitive Zone.
18.	Fencing of premises of hotels and lodges.	Fencing of premises of hotels and lodges shall be regulated in the Eco-sensitive Zone.
19.	Air (including noise) and vehicular pollution.	As Regulated under applicable laws.
20.	Commercial sign boards and hoardings.	As Regulated under applicable laws.
21.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities.	As Regulated under applicable laws.
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
23.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
24.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable laws (with prior approval of Chief Wildlife Warden of the Union territory of Chandigarh).
25.	Solid Waste Management	Regulated under applicable laws.
26.	Uses of plastic carry bags.	Regulated (except as otherwise provided) as per law.
27.	Eco-Tourism Activity	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities:		
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted under the law.
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Use of renewable energy sources.	Permitted under the law.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Vegetative fencing.	Permitted under the law.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Agro forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Environmental awareness	Shall be actively promoted.
37.	Skill development	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee.**—The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

- | | | |
|--------|--|---------------------|
| (i) | Chief Conservator of Forest cum Chief Wildlife Warden, Government of Union territory (UT) Chandigarh | –Chairman; |
| (ii) | Chief Architect, UT, Chandigarh | –Member; |
| (iii) | Chief Engineer, UT, Chandigarh | –Member; |
| (iv) | Chief Engineer, Municipal Corporation UT, Chandigarh | –Member; |
| (v) | Director Rural Development and Panchayat, UT, Chandigarh | –Member; |
| (vi) | Member Secretary, Chandigarh Pollution Control Committee | –Member; |
| (vii) | A representative of Non-governmental Organisations' working in the field of environment to be nominated by the Government of Union territory of Chandigarh for a term of three years | –Member; |
| (viii) | One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of UT, Chandigarh | –Member; |
| (ix) | Member of State Biodiversity Board | –Member; |
| (x) | Deputy Conservator of Forest (WL), UT Chandigarh | –Member -Secretary. |


6. Terms of reference.—

- (1) The tenure of the Monitoring Committee shall be three years.
- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Conservator Forest (WL) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the Union territory per proforma appended at **Annexure IV**.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- (9) The Central Government and the Union territory Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- (10) The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/9/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Map of Eco-sensitive Zone around Sukhna Wildlife Sanctuary, UT of Chandigarh



Annexure II**Boundary description of the Eco-sensitive Zone and co-ordinates of Sukhna Wildlife Sanctuary**

Point A to B	On boundary of Sukhna Wildlife Sanctuary from northern side of village Khuda Alisher towards PEC upto Uttar Marg along Union territory boundary.
Point B to C	From PEC along Uttar Marg to village Kishangarh causeway.
Point C to D	From village Kishangarh causeway to Kishangarh – I.T. Park road round about.
Point D to E	From Kishangarh – I.T. Park road Round about upto Union territory boundary along DT Mall road
Point E to F	Along Union territory boundary to Regulator End.
Point F to G	From regulator end along Union territory boundary upto near confluence point.
Point G to H	Near confluence point along boundary near village Mahadevpur.
Point H to I	Along boundary near village Mahadevpur to near Kansa Devi temple on Sukhna Wildlife Sanctuary boundary.
Point I to J	Near Kansa Devi temple towards Lake reserve forest on boundary on Kaimbwala road.
Point J to K	From reserve forest on Kaimbwala road towards village Kansal along Union territory boundary.
Point K to L	Along boundary near village Kansal to Sukhna Wildlife Sanctuary on eastern side of village Khuda Alisher.
Point L to A	Along boundary near village Kansal to Sukhna Wildlife Sanctuary on eastern side of village Khuda Alisher.

Annexure-IIA**G.P.S. Co-ordinates of Boundary of Sukhna Wildlife Sanctuary**

Sl. No.	G.P.S. Readings	Sl. No.	G.P.S. Readings
1.	N 30 ⁰ 45' 16.1"	9.	N 300 48' 12.5"
	E076 ⁰ 50' 15.7"		E0760 50' 31.0"
2.	N 30 ⁰ 45' 50.3"	10.	N 30 ⁰ 48' 11.9"
	E076 ⁰ 49' 36.6"		E076 ⁰ 51' 11.6"
3.	N 30 ⁰ 46' 00.6"	11.	N 30 ⁰ 48' 33.1"
	E076 ⁰ 49' 25.3"		E076 ⁰ 52' 10.9"
4.	N 30 ⁰ 46' 06.5"	12.	N 30 ⁰ 48' 19.8"
	E076 ⁰ 49' 10.2"		E076 ⁰ 51' 59.3"
5.	N 30 ⁰ 46' 29.0"	13.	N 30 ⁰ 47' 29.8"
	E076 ⁰ 48' 48.6"		E076 ⁰ 51' 04.6"
6.	N 30 ⁰ 46' 50.4"	14.	N 30 ⁰ 47' 12.3"
	E076 ⁰ 49' 16.5"		E076 ⁰ 51' 23.9"
7.	N 30 ⁰ 47' 5.17"	15.	N 300 47' 56.8"
	E076 ⁰ 49' 38.35"		E076 ⁰ 51' 93.3"
8.	N 30 ⁰ 47' 54.4"	16.	N 30 ⁰ 47' 70.5"
	E076 ⁰ 50' 09.4"		E076 ⁰ 52' 41.3"

17.	N 30 ⁰ 46'58.9"	23.	N 30 ⁰ 45'1.6"
	E076 ⁰ 52'09.7"		E076 ⁰ 52'33.3"
18.	N 30 ⁰ 46'20.4"	24.	N 30 ⁰ 44'31.8"
	E076 ⁰ 51'45.2"		E076 ⁰ 51'11.4"
19.	N 30 ⁰ 46'30.3"	25.	N 30 ⁰ 45'00.5"
	E076 ⁰ 52'23.6"		E076 ⁰ 50'45.4"
20.	N 30 ⁰ 46'17.8"	26.	N 30 ⁰ 44'59.8"
	E076 ⁰ 52'43.5"		E076 ⁰ 50'35.5"
21.	N 30 ⁰ 45'42.6"	27.	N 30 ⁰ 45'09.1"
	E076 ⁰ 52'36.1"		E076 ⁰ 50'33.9"
22.	N 30 ⁰ 45'01.2"		
	E076 ⁰ 52'31.2"		

Annexure III

The coordinates showing prominent points of the outer boundary of Eco-sensitive Zone of Sukhna Wildlife Sanctuary, Union territory Chandigarh.

Points	Longitude	Latitude
A	76 ⁰ 48' 37.70" E	30 ⁰ 46' 45.07" N
B	76 ⁰ 47' 28.57" E	30 ⁰ 46' 01.22" N
C	76 ⁰ 49' 29.60" E	30 ⁰ 44' 01.72" N
D	76 ⁰ 49' 48.85" E	30 ⁰ 43' 51.68" N
E	76 ⁰ 50' 53.55" E	30 ⁰ 43' 50.57" N
F	76 ⁰ 49' 55.58" E	30 ⁰ 44' 22.92" N
G	76 ⁰ 50' 13.19" E	30 ⁰ 44' 57.21" N
H	76 ⁰ 50' 16.42" E	30 ⁰ 45' 09.45" N
I	76 ⁰ 49' 37.84" E	30 ⁰ 45' 48.31" N
J	76 ⁰ 48' 53.36" E	30 ⁰ 45' 11.83" N
K	76 ⁰ 48' 18.31" E	30 ⁰ 45' 53.09" N
L	76 ⁰ 49' 01.59" E	30 ⁰ 46' 13.83" N

Annexure IV**Proforma of Action Taken Report: Eco-sensitive Zone monitoring Committee.—**

1. Number and date of meetings;
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attached minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

Details may be attached as Annexure.

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.